



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-17112021-231221
CG-MH-E-17112021-231221

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 573]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 17, 2021/कार्तिक 26, 1943

No. 573]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 17, 2021/KARTIKA 26, 1943

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 8 नवम्बर, 2021

सं. टीएमपी/39/2021-वीपीटी.—इस प्राधिकरण ने, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 के अधीन इसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एमओएस पत्र सं. पीडी-13/1/2018-पीपीपी प्रकोष्ठ दिनांक 11 जुलाई 2018 के अनुसरण में डीबीएफओटी आधार पर वीपीटी के सामान्य कार्गो बर्थ में कोकिंग कोयले और स्टीम कोयले के अभियंत्रित प्रहस्तन के लिए विजाग जनरल कार्गो बर्थ प्रा. लि. (वीजीसीबीपीएल) के नाम से दरमान अधिसूचित करते हुए इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित आदेश सं. टीएमपी/58/2008-वीपीटी दिनांक 11 जनवरी 2013 द्वारा अनुमोदित भंडारण प्रभार के युक्तिकरण के लिए विशाखापत्तनम पत्तन न्यास (वीपीटी) से प्राप्त प्रस्ताव का निपटान किया था और भंडारण प्रभार 21 जनवरी 2021 से 20 जनवरी 2022 तक लगातार तीन वर्षों के लिए इस प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित किया गया था। इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित दरों के साथ (स्पष्ट) आदेश अधिसूचित करने में लगे समय पर विचार करते हुए, इस प्राधिकरण ने तत्काल केवल दर अनुसूची अधिसूचित करने का निर्णय किया था। तदनुसार, इस प्राधिकरण द्वारा 25 अक्टूबर 2021 को अनुमोदित युक्तिसंगत भंडारण प्रभारों की अनुसूची 01 नवम्बर 2021 को राजपत्र सं. 538 द्वारा भारत के राजपत्र में अधिसूचित की गई थी। उक्त अधिसूचना में यह उल्लिखित किया गया था कि यह प्राधिकरण आने वाले समय में स्पष्ट आदेश जारी करेगा। तदनुसार, यह प्राधिकरण एतद्वारा संलग्न आदेशानुसार वीपीटी के प्रस्ताव के निपटान के साथ जुड़े स्पष्ट आदेश को अधिसूचित करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण
सं. टीएमपी/39/2021-वीपीटी

विशाखापत्तनम पत्तन न्यास

आवेदक

कोरम

- (i) श्री टी.एस. बालासुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)
(ii) श्री सुनील कुमार सिंह, सदस्य (अर्थशास्त्र)

आदेश
(अक्टूबर, 2021 के 25वें दिन पारित)

यह मामला तत्कालीन पोत परिवहन मंत्रालय (एमओएस) के पत्र सं. पीडी-13/1/2018-पीपीपी प्रकोष्ठ दिनांक 11 जुलाई 2018 के अनुसरण में डीबीएफओटी आधार पर वीपीटी के सामान्य कार्गो बर्थ में कोकिंग कोयला तथा भाप कोयला के अभियंत्रित प्रहस्तन के लिए विजाग जनरल कार्गो बर्थ प्रा. लि. (वीजीसीबीपीएल) के नाम से दरमान अधिसूचित

करते हुए इस प्राधिकरण द्वारा आदेश सं. टीएमपी/58/2008-वीपीटी दिनांक 11 जनवरी 2013 द्वारा अनुमोदित भंडारण प्रभार के युक्तिकरण और 21 जनवरी 2021 से 20 जनवरी 2022 तक लगातार तीन वर्षों के लिए संशोधित युक्तिसंगत भंडारण प्रभार अधिसूचित करने के लिए विशाखापत्तनम पत्तन न्यास (वीपीटी) से प्राप्त प्रस्ताव से संबंधित है।

2.1. यहां पर यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि, स्ट्रेड्स पीपीपी परियोजनाओं पर पत्तन, पोत परिवहन तथा जलमार्ग मंत्रालय (एमओपीएसडब्ल्यू) (तत्कालीन पोत परिवहन मंत्रालय) के पत्र सं. पीडी-13/1/2018-पीपीपी प्रकोष्ठ दिनांक 11 जुलाई 2018 के अनुसरण में, इस प्राधिकरण ने अपने आदेश सं. टीएमपी/9/2019-वीपीटी दिनांक 24 जुलाई 2019 द्वारा वीपीटी के प्रस्ताव पर आधारित है और हितधारकों के साथ परामर्श प्रक्रिया तथा संयुक्त सुनवाई आयोजित करने के बाद आदेश दिनांक 11 जनवरी 2013 में भंडारण अनुसूची अनुमोदित की थी जोकि डीबीएफओटी आधार पर वीपीटी के सामान्य कार्गो बर्थ में कोकिंग कोयले तथा भाप कोयले के अभियंत्रित प्रहस्तन के लिए वीजीसीबीपीएल के नाम से दरमान (एसओआर) की अधिसूचना से संबंधित है। उक्त आदेश राजपत्र सं. 296 दिनांक 21 अगस्त 2019 द्वारा अधिसूचित किया गया था। उक्त आदेश में इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित युक्तिसंगत भंडारण प्रभार 21 जनवरी 2019 से एक वर्ष की अवधि के लिए था और 20 जनवरी 2020 तक एक वर्ष के लिए वैध था।

2.2. इसके अलावा, वीपीटी के प्रस्ताव के आधार पर, इस प्राधिकरण ने आदेश सं. टीएमपी/9/2019-वीपीटी दिनांक 15 सितंबर 2021 द्वारा तर्कसंगत भंडारण प्रभार के लागू होने की तारीख संशोधित कर 21 जनवरी 2019 के स्थान पर 11 जुलाई 2018 कर दी है।

2.3. इसके बाद, मार्च 2020 में वीपीटी से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर, इस प्राधिकरण ने अपने आदेश सं. टीएमपी/14/2020-वीपीटी दिनांक 1 जून 2020 द्वारा वीजीसीबीपीएल द्वारा परिचालित टर्मिनल के लिए आदेश सं. टीएमपी/9/2019-वीपीटी दिनांक 24 जुलाई 2019 द्वारा इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित तर्कसंगत भंडारण प्रभार की वैधता 20 जनवरी 2020 से और एक वर्ष के लिए विस्तारित की गई थी और तदनुसार इस प्राधिकरण द्वारा आदेश सं. टीएमपी/58/2008-वीपीटी दिनांक 11 जनवरी 2013 द्वारा अनुमोदित आदेश में अनुसूची 4 के अधीन लागू दरें 20 जनवरी 2021 तक वैधता अवधि के लिए नीचे दिए गए अनुसार संशोधित की गई थीं:

(रु. में प्रति टन प्रतिदिन अथवा उसका भाग)

क्र.सं.	विवरण	आदेश सं. टीएमपी/58/2008-वीपीटी दिनांक 11 जनवरी 2013 के अनुसार सूचकांकन कारक लागू करने के बाद			21.1.2019 से 20.1.2020 तक की अवधि के लिए आदेश सं. टीएमपी/9/2019-वीपीटी दिनांक 24 जुलाई 2019 द्वारा अनुमोदित संशोधित सूचकांकित भंडारण प्रभार		मौजूदा विस्तार आदेश में 21.1.2020 से 20.1.2021 अवधि के लिए संशोधित सूचकांकित भंडारण प्रभार	
		वर्ष 2018-19 के लिए लागू भंडारण प्रभार	वर्ष 2019-20 के लिए लागू भंडारण प्रभार	वर्ष 2020-21 के लिए लागू भंडारण प्रभार	21.1.2019 से 31.3.2019 तक भंडारण प्रभार	01.4.2019 से 20.1.2020 तक भंडारण प्रभार	21.1.2019 से 31.3.2019 तक संशोधित सूचकांकित भंडारण प्रभार	01.4.2020 से 20.1.2021 तक संशोधित सूचकांकित भंडारण प्रभार
1.	भंडारण प्रभार (0-10 दिन)	कोई प्रभार नहीं	कोई प्रभार नहीं	कोई प्रभार नहीं	कोई प्रभार नहीं	कोई प्रभार नहीं	कोई प्रभार नहीं	कोई प्रभार नहीं
2.	भंडारण प्रभार (11-15 दिन)	2.06	2.11	2.13	कोई प्रभार नहीं	कोई प्रभार नहीं	कोई प्रभार नहीं	कोई प्रभार नहीं
3.	भंडारण प्रभार (16-20 दिन)	4.11	4.21	4.26	कोई प्रभार नहीं	कोई प्रभार नहीं	कोई प्रभार नहीं	कोई प्रभार नहीं
4.	भंडारण प्रभार 21वें दिन से आगे	8.22	8.43	8.53	8.22	8.43	8.43	8.53

टिप्पणियां:

- 20 निःशुल्क दिनों की अनुमति दी जाएगी। पोत कार्गो के पूर्ण उतराई के दिन के बाद दिन से निःशुल्क अवधि शुरू होगी। निःशुल्क अवधि की गणना के उद्देश्य के लिए, कस्टम अधिसूचित छुट्टियों और टर्मिनल के गैर-कार्य दिवसों को शामिल नहीं किया जाएगा।
- निर्धारित निःशुल्क दिनों से अधिक कार्गो के ठहरने के लिए टर्मिनल के गैर-कार्य दिवसों और सीमा शुल्क अधिसूचित छुट्टियों सहित सभी दिनों के लिए भंडारण प्रभार देय होंगे।
- कार्गो पर भंडारण प्रभार उस अवधि के लिए प्रोद्भूत नहीं होंगे जब टर्मिनल परिचालक टर्मिनल परिचालक पर आरोप्य कारणों के कारण उपयोक्ता द्वारा अनुरोध किए जाने के समय कार्गो की डिलीवरी/नोभरण करने की स्थिति में नहीं हो।
- उपरोक्त भंडारण अनुसूची 21 जनवरी 2020 से 20 जनवरी 2021 तक मान्य होगी।

3.1. वीपीटी ने अपने ईमेल दिनांक 12 जुलाई 2021 द्वारा पत्र सं. आईआरएनपी/स्टैंड/वीजीसीबी/2021 दिनांक 02 मार्च 2021 के साथ प्रस्ताव एमओएस पत्र सं. पीडी-13/1/2018-पीपीपी प्रकोष्ठ दिनांक 11 जुलाई 2018 के अनुसरण में 21 जनवरी 2021 से 20 जनवरी 2022 तक एक और वर्ष की अवधि के लिए वीजीसीबीपीएल द्वारा परिचालित टर्मिनल के लिए इस प्राधिकरण द्वारा आदेश सं. टीएमपी/58/2008-वीपीटी दिनांक 11 जनवरी 2013 द्वारा पहले अनुमोदित भंडारण प्रभार के युक्तिकरण के लिए अनुमोदन की मांग के साथ अग्रेषित किया था।

3.2. 02 मार्च 2021 के वीपीटी प्रस्ताव में उल्लेख नहीं किया गया था और न ही यह दर्शाया गया है कि यह परियोजना तत्कालीन एमओएस पत्र दिनांक 11 जुलाई 2018 के पैरा 3 में स्ट्रेड्स पीपीपी परियोजना के रूप में वर्गीकृत किए जाने के लिए निर्धारित तीन मानदंडों को पूरा करती है और न ही वीपीटी का यह प्रस्ताव 21.1.2021 से 20.1.2022 तक विस्तारित अवधि के लिए युक्तिसंगत भंडारण प्रभार का प्रस्ताव करता है। अतः, वीपीटी से हमारे पत्र दिनांक 22 जुलाई 2021 द्वारा अनुरोध किया गया था कि अपेक्षित ब्योरो के साथ संपूर्ण प्रस्ताव दाखिल करे।

4. इसके जवाब में, वीपीटी ने अपना पत्र सं. आईआरएनपी/स्टैंड/वीजीसीबी/2020 दिनांक 26 जुलाई 2021 अग्रेषित करते हुए अपने ईमेल दिनांक 27 जुलाई 2021 द्वारा अपना संपूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। वीपीटी द्वारा अपने संशोधित प्रस्ताव में कही गई मुख्य बातें नीचे दी गई हैं:-

- एमओपीएसडब्ल्यू ने महापत्तनों में "स्ट्रेड्स परियोजना" के रूप में पीपीपी परियोजना की पहचान करने के लिए दिशानिर्देश और उसपर एमओपीएसडब्ल्यू के पत्र दिनांक 11 जुलाई 2018 द्वारा राहत देने के लिए अंगीकृत की जाने वाली प्रक्रिया जारी किए हैं।
- एमओपीएसडब्ल्यू दिशानिर्देशों के आधार पर, वीपीटी बोर्ड ने वीपीटी में "स्ट्रेड्स परियोजना" के रूप में परिचालन करने वाले मै. वीजीसीबीपीएल की पहचान की थी, और दो स्पेसों अर्थात् (i) टीएमपी आदेश सं. टीएमपी/9/2019-वीपीटी दिनांक 24 जुलाई 2019 द्वारा 21.01.2019 से 20.01.2020 तक (ii) टीएमपी आदेश सं. टीएमपी/14/2020-वीपीटी दिनांक 01 जून 2020 द्वारा 21.01.2020 से 20.01.2021 तक में भंडारण अनुसूची संशोधित करते हुए पत्तन

के प्रस्ताव के आधार पर राहत प्रदान की गई थी।

- (iii) मै. वीजीसीबीपीएल द्वारा वीपीटी से अपने पत्र दिनांक 22 अक्टूबर 2020 (प्रतिलिपि प्रेषित) और 05 नवंबर 2020 (प्रतिलिपि प्रेषित) द्वारा किए गए निवेदनों के अनुसार, इस मामले पर 29 दिसंबर 2020 को हुई वीपीटी बोर्ड की बैठक सं. 2020-21 की 4 में चर्चा की गई थी और 21.02.2021 (वीपीटी द्वारा टाइपिंग त्रुटि को शोधित कर 21.01.2021 किया गया है) से युक्तिसंगत भंडारण प्रमारों के कार्यान्वयन के लिए मै. वीजीसीबीपीएल द्वारा संकल्प सं. 137/2020-21 (प्रतिलिपि प्रेषित) के अनुरोध पर विचार करने का संकल्प लिया था। वीपीटी के न्यासी बोर्ड ने निम्नलिखित संकल्प लिए थे—

- (क) उक्त परियोजना के “स्ट्रेस्ड परियोजना” के रूप में वर्गीकरण के लिए मंत्रालय के आदेश दिनांक 11.07.2018 के निदेशों के अनुपालन में स्ट्रेस्ड परियोजना के रूप में परियोजना मानने के लिए मै. वीजीसीबीपीएल के प्रस्ताव पर विचार करना।

उक्त परियोजना के वर्गीकरण के लिए मेसर्स वीजीसीबीपीएल के प्रस्ताव को “स्ट्रेस्ड प्रोजेक्ट” के रूप में विचार करना और मंत्रालय के 11-07-2018 के आदेश के अनुपालन में परियोजना को तनावग्रस्त परियोजना के रूप में मानना।

- (ख) रियायतधीन मेसर्स वीजीसीबीपीएल के परामर्श से भंडारण प्रमारों को युक्तिसंगत बनाने के लिए उपयुक्त प्रस्ताव के साथ “संशोधन, संशोधन या परिवर्तन” को शामिल करते हुए रियायत समझौते के अनुच्छेद 21.9 में उपलब्ध प्रावधानों के तहत टीएमपी से संपर्क करना, ताकि टीएमपी दिशानिर्देशों/अधिसूचनाओं के अनुसार एआरआर प्राप्त किया जा सके।

- (ग) 20.01.2021 के बाद भंडारण प्रमारों के युक्तिकरण के लाभों के विस्तार के औचित्य को विधिवत न्यायोचित ठहराते हुए रियायतग्राही को वीपीटी के माध्यम से टीएमपी को एक विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए सूचित करना और;

- (घ) 20-01-2021 से एक वर्ष की अवधि के प्रस्ताव पर विचार करना और उसके बाद समीक्षा करना।

- (iv) पिछले दो वर्षों यानी 2019-20 और 2018-19 के दौरान वीजीसीबीपीएल के उपयोग का प्रतिशत दर्शाने वाला पत्र प्रस्तुत किया गया है। पिछले दो वर्षों यानी 2019-20 और 2018-19 के दौरान मेसर्स वीजीसीबीपीएल के नकदी नुकसानों और नेटवर्थ को दर्शाने वाला पत्र प्रस्तुत किया गया है। वीजीसीबीपीएल के चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा कंपनी के प्रमाणित नकद नुकसान और नेटवर्थ (प्रतिलिपि प्रस्तुत की गई है) निम्नलिखित हैं:—

(रु. करोड़ों में)

क्र.सं.	विवरण	वित्तीय वर्ष 2019-20	वित्तीय वर्ष 2018-19
1	कंपनी द्वारा प्रोद्भूत निवल रोकड़ नुकसान	(1.68)	(2.29)
2	कंपनी की निवल वर्थ	20.05	(11.47)

- (v) (क) वीजीसीबीपीएल ने वीपीटी को संबोधित अपने पत्र दिनांक 22 अक्टूबर 2020 (वीपीटी द्वारा प्रतिलिपि प्रस्तुत की गई है) में कहा है कि रियायतग्राही द्वारा किए गए नुकसान से वर्ष 2012-13 में उसकी पीक नेटवर्थ (2012-13 में 151.53 करोड़ रुपये) का 50 प्रतिशत क्षरण हुआ है जो वर्ष 2019-20 में 20.05 करोड़ रुपये था।

- (ख) पिछले दो पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में वीजीसीबीपीएल द्वारा प्रहस्तित कार्गो और वीजीसीबीपीएल द्वारा वीजीसीबीपीएल को 5 नवंबर 2020 को वीजीसीबीपीएल को प्रतिवेदित क्षमता उपयोग के आधार पर नीचे सारणीबद्ध किया गया है:

विवरण	यूओएम	2018-19	2019-20
बोली-पूर्व मॉडल के अनुसार मात्रा	एमएमटी	10.18	10.18
प्रहस्तित वास्तविक मात्रा	एमएमटी	4.96	5.91
वास्तविक मात्रा का % (< 70%)	%	49%	58%

- (vi) जैसाकि वीपीटी बोर्ड की बैठक में संकल्प लिया गया है, मेसर्स वीजीसीबीपीएल ने 20 जनवरी 2021 के बाद भंडारण प्रमारों को युक्तिसंगत बनाने के लिए वीपीटी को 03 फरवरी 2021 के अपने पत्र के माध्यम से अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसमें विचार के लिए उसके औचित्य को विधिवत रूप से न्यायोचित ठहराया गया। वीजीसीबीपीएल द्वारा 3 फरवरी 2021 को वीपीटी को लिखे अपने पत्र में दिए गए मुख्य बिंदुओं को नीचे संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है:

- (क) वीजीसीबीपीएल ने पत्तन से अनुरोध किया है कि वह पिछले वर्ष युक्तिकरण के समान 20 दिनों तक निःशुल्क भंडारण अवधि जारी रखे और भंडारण प्रशुल्क समय-समय पर टीएमपी अधिसूचित दरों के अनुसार 21वें दिन से शुरू होना चाहिए।

- (ख) तदनुसार, प्रस्तावित प्रशुल्क इस प्रकार होगा (पिछले वर्ष की तरह):

क्र.सं.	विवरण	इकाईयां	मौजूदा एसओआर (युक्तिकरण के बिना)	प्रस्तावित एसओआर
1.	बर्थ किराया प्रभार	रु./जीआरटीएच	0.883	0.883 *
2.	कार्गो प्रहस्तन प्रभार	रु./ मी.ट.	178.08	178.08 *
3.	भंडारण प्रभार (0-10 दिन)	रु./ मी.ट. प्रति दिन	कोई प्रभार नहीं	कोई प्रभार नहीं
4.	भंडारण प्रभार (11-15 दिन)	रु./ मी.ट. प्रति दिन	2.13	कोई प्रभार नहीं
5.	भंडारण प्रभार (16-20 दिन)	रु./ मी.ट. प्रति दिन	4.27	कोई प्रभार नहीं
6.	भंडारण प्रभार 21वें दिन से आगे	रु./ मी.ट. प्रति दिन	8.53 *	
7.	विभिन्न प्रभार (सफाई, धूल निवारण और पर्यावरण आदि के लिए प्रभार)	रु./मी.ट.	1.82 *	

* समय-समय पर टीएमपी संशोधन के अनुसार परिवर्तन के अधीन।

(ग) इसके अलावा, भंडारण प्रभारों पर वर्तमान बनाम प्रस्तावित रॉयल्टी निम्नवत् होगी:

क्र.सं.	विवरण	इकाईयां	मौजूदा रॉयल्टी (युक्तिकरण के बिना)	प्रस्तावित रॉयल्टी
1.	भंडारण प्रभार (0-10 दिन)	रु/ मी.ट. प्रति दिन	कोई रॉयल्टी नहीं	कोई रॉयल्टी नहीं
2.	भंडारण प्रभार (11-15 दिन)	रु/ मी.ट. प्रति दिन	सकल राजस्व का 38.1%	एआरआर का 1%
3.	भंडारण प्रभार (16-20 दिन)	रु/ मी.ट. प्रति दिन	सकल राजस्व का 38.1%	
4.	भंडारण प्रभार 21वें दिन से आगे	रु/ मी.ट. प्रति दिन	सकल राजस्व का 38.1%	वसूल किए गए वास्तविक भंडारण प्रभारों पर 38.1 प्रतिशत के समकक्ष रॉयल्टी अथवा एआरआर का 1 प्रतिशत, जो भी अधिक हो,

(घ) वीपीटी से अनुरोध है कि वह इस तरह से टीएमपी के परामर्श से ऐसे आदेश प्राप्त करने में वीजीसीबीपीएल का समर्थन करे ताकि 2008 प्रशुल्क दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट एआरआर प्राप्त किया जा सके। साथ ही, पिछले दो वर्षों और चालू वर्ष के लिए रियायत समझौते (वीपीटी बोर्ड द्वारा यथा प्रस्तावित) के अनुच्छेद 21.9 के तहत भंडारण प्रभारों में राजस्व शेयर पैटर्न में परिवर्तन के लिए एमओपीएसडब्ल्यू दिशानिर्देशों को प्रभावी बनाने के लिए रियायत समझौते में एक उपयुक्त संशोधन किया जाना है।

(ङ) युक्तिकरण के लाभों के विस्तार के लिए औचित्य:

- (i) टीएमपी अनुमोदित 2008 प्रशुल्क दिशानिर्देशों के अनुसार निःशुल्क भंडारण अवधि 10 दिन है। यह 27 नवंबर 2009 के अपने आदेश के माध्यम से टीएमपी द्वारा निर्धारित अग्रिम प्रशुल्क का हिस्सा था। उस समय प्रचलित बाजार की गतिशीलता के आधार पर बोली के समय यह निर्णय लिया गया था। जबकि, वास्तविक व्यवहार में, यह देखा गया है कि वर्तमान बाजार की गतिशीलता उन लोगों की तुलना में पूरी तरह से अलग है जिनके बारे में 2009 में सोचा गया था।
- (ii) उपरोक्त की स्थिति के अनुसार, पोतों का वर्तमान विराम समय 40 से 50 दिनों तक है। केवल समय के रहने की पिछली प्रवृत्ति को आधार बनाकर, निःशुल्क अवधि को 20 दिनों तक बढ़ाने के लिए रियायती और रियायत प्राधिकरण दोनों द्वारा पारस्परिक रूप से सहमति व्यक्त की गई थी। इसी प्रकार, वीजीसीबीपीएल इस पर विचार करने और चालू वर्ष युक्तिकरण के लिए भी इसे जारी रखने का अनुरोध करता है।
- (iii) इसके अलावा, हालांकि वीजीसीबीपीएल वाणिज्यिक संचालन के 8वें वर्ष में हैं, परियोजना ने पिछले 8 वर्षों से कोई लाभ नहीं कमाया था और पूरा ऋण अभी भी बकाया है। युक्तियुक्तकरण लाभ मिलने के बाद भी परियोजना का निष्पादन संतोषजनक स्तर तक नहीं था जिसे इस प्रकार विस्तृत किया गया है—

- (क) पिछले वर्ष उत्तराई मात्रा 5.91 एमएमटी है जबकि वीजीसीबीपीएल इसी ने 10.18 एमएमटी की सीमा को मंजूरी दी थी।
- (ख) वीजीसीबीपीएल ने पिछले साल 1.68 करोड़ रुपये का नकद घाटा किया था। वित्त वर्ष 19-20 के लिए वित्तीय की एक प्रति पहले ही वीपीटी को प्रस्तुत की जा चुकी है।
- (ग) परियोजना की शुरुआत के बाद से लगातार घाटे के कारण पिछले साल वीजीसीबीपीएल की पूरी नेटवर्थ निगेटिव में चली गई है।

(च) उपरोक्त स्थिति को देखते हुए, वीजीसीबीपीएल दूसरे वर्ष के साथ-साथ परियोजना के हित में युक्तिकरण लाभ जारी रखने का अनुरोध करता है जो वीपीटी एक्स-चेकर के लिए एक प्रमुख योगदानकर्ता है।

(छ) वीजीसीबीपीएल ने अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से प्राप्त 21 अक्टूबर 2020 का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें नकद नुकसान और वीजीसीबीपीएल की नेटवर्थ दर्शाई गई है। वीजीसीबीपीएल ने वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए वीजीसीबीपीएल को 05 नवंबर 2020 का वीपीटी पत्र भी दिया है। जहां तक वर्ष 2018-19 और 2019-20 में वीजीसीबीपीएल द्वारा संभाले गए यातायात का संबंध है, 5 नवंबर 2020 का वीपीटी पत्र प्रस्तुत किया गया है।

(vii) वीपीटी ने 20 जनवरी 2021 से आगे एक वर्ष की अवधि के लिए निम्नलिखित युक्तिसंगत भंडारण प्रभार का प्रस्ताव किया है जैसाकि वीजीसीबीपीएल द्वारा टीएमपी के विचार के लिए वीपीटी को प्रस्तावित किया गया है:

क्र.सं.	विवरण	इकाईयां	मौजूदा दरमान	प्रस्तावित दरमान
1.	भंडारण प्रभार (0-10 दिन)	रु/ मी.ट. प्रति दिन	कोई प्रभार नहीं	कोई प्रभार नहीं
2.	भंडारण प्रभार (11-15 दिन)	रु/ मी.ट. प्रति दिन	2.13	कोई प्रभार नहीं
3.	भंडारण प्रभार (16-20 दिन)	रु/ मी.ट. प्रति दिन	4.27	कोई प्रभार नहीं
4.	भंडारण प्रभार 21वें दिन से आगे	रु/ मी.ट. प्रति दिन	8.53	8.53

- (viii) मेसर्स वीजीसीबीपीएल द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एमओपीएसडब्ल्यू द्वारा गठित समिति की सिफारिशों के अनुरूप है जो 11 जुलाई 2018 के पत्र के माध्यम से सूचित किया गया है।
- (ix) इसलिए वीपीटी ने वीजीसीबीपीएल सुविधा के क्षमता उपयोग में सुधार के लिए भंडारण प्रभारों के युक्तिकरण के लिए मेसर्स वीजीसीबीपीएल द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार करने का अनुरोध किया है। वीपीटी ने वीजीसीबीपीएल सुविधा के लिए संशोधित भंडारण अनुसूची को एक और वर्ष की अवधि के लिए यानि 20-01-2022 तक 21-01-2021 (लगातार तीसरे वर्ष) से प्रभावी करने के लिए जल्द से जल्द अधिसूचित करने का भी अनुरोध किया है।
- (x) उक्त अनुसूची 21-01-2021 से 31-03-2021 तक लागू रहेगी। 01-04-2021 से 20-01-2022 तक भंडारण अनुसूची को टीएएमपी द्वारा सूचकांकन कारक की अधिसूचना पर उचित रूप से सूचकांकित किया जाएगा। तदनुसार, वीपीटी ने उपरोक्त को अनुमोदन और अधिसूचना में शामिल करने का अनुरोध किया है।

5.1. एमओएस ने अपने ई-मेल दिनांक 11 जुलाई 2018 के तहत स्ट्रेचर्ड पीपीपी परियोजना से संबंधित मुद्दों पर आईपीए के अध्यक्ष की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट की प्रति के साथ स्ट्रेचर्ड पीपीपी परियोजना के संबंध में पत्र सं. पीडी-13/1/2018-पीपीपी प्रकोष्ठ दिनांक 11 जुलाई 2018 जारी किया है।

5.2. उक्त पत्र में कहा गया है कि एमओएस ने पत्तन के मुद्दों यानि स्ट्रेस्ड पीपीपी परियोजना और पीपीपी उपयोगकर्ताओं के एमजीटी, अनुमतियां, पत्तन प्रभारों, भंडारण प्रभारों आदि जैसे मुद्दों पर समय पर निर्णय लेने के लिए अध्यक्ष, आईपीए की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। उक्त समिति ने विभिन्न महापत्तनों की पीपीपी परियोजनाओं में आ रहे भंडारण शुल्क के मुद्दे सहित विभिन्न मुद्दों की विस्तृत जांच के बाद अपनी रिपोर्ट एमओएस को सौंप दी है। उक्त समिति ने पीपीपी परियोजना के वर्गीकरण के लिए निम्नलिखित मानदंडों को **"स्ट्रेस्ड परियोजनाओं"** के रूप में सिफारिश की है:

- (क) इस परियोजना का उप-इष्टतम उपयोग किया जाता है जैसा कि दो पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के दौरान परिचालक द्वारा प्रहस्तित वास्तविक कार्गो द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जो डीपीआर/व्यवहार्यता रिपोर्ट के अनुसार प्रक्षेपण के 70 प्रतिशत से कम है और बोली दस्तावेज का हिस्सा है और
- (ख) परियोजना एसपीवी दो पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के लिए लगातार नकद नुकसान वहन कर रही है और
- (ग) कि रियायतग्राही द्वारा किए गए नुकसान के कारण परिचालन अवधि के दौरान इसकी पीक नेटवर्थ का कम से कम 50 प्रतिशत क्षरण हुआ है।

5.3. एमओएस के पत्र दिनांक 11 जुलाई 2018 के पैरा 6 में कहा गया है कि जब भी एमओएस पत्र में परिभाषित स्ट्रेस्ड परियोजनाओं में असामान्य भंडारण शुल्क जारी होता है, तो पल्टन रियायत के साथ परामर्श में भंडारण शुल्क को युक्तिसंगत बनाने के लिए उचित प्रस्ताव के साथ रियायत समझौते के नियमों और शर्तों के प्रावधानों के तहत टीएएमपी से संपर्क कर सकते हैं ताकि टीएएमपी दिशानिर्देशों/अधिसूचना के अनुसार आरआर को प्राप्त किया जा सके। टीएएमपी को योग्यता के आधार पर ऐसे प्रस्ताव पर विचार करना होता है। समिति ने सृजित सुविधा के अधिकतम उपयोग के लिए समय-समय पर रियायत प्राधिकरण द्वारा स्थिति की समीक्षा करने की भी सिफारिश की है।

5.4. एमओएस के उक्त पत्र का जिफ्र करते हुए, वीपीटी ने डीबीएफओटी आधार पर वीपीटी के सामान्य कार्गो बर्थ में कोकिंग कोयला और भाप कोयला के अभियंत्रित प्रहस्तन के लिए वीजीसीबीपीएल के नाम से दरमान अधिसूचित करते हुए इस प्राधिकरण द्वारा आदेश सं. टीएएमपी/58/2008-वीपीटी दिनांक 11 जनवरी 2013 द्वारा अनुमोदित भंडारण प्रभार के यक्तिकरण और 21 जनवरी 2021 से 20 जनवरी 2022 तक तीन लगातार वर्षों के लिए संशोधित भंडारण प्रभार अधिसूचित करने के लिए मौजदा दाखिल किया है।

6.1. प्रस्ताव दिनांक 27 जुलाई 2021 को स्वीकार करते हुए, 30 जुलाई 2021 के हमारे पत्र द्वारा वीपीटी से निम्नलिखित अनुरोध किया गया था:

- (i) वीजीसीबीपीएल के प्रस्ताव के अनुसार वीपीटी द्वारा प्रस्तावित तर्कसंगत भंडारण शुल्क 01 अप्रैल 2021 से लागू वर्ष 2021-22 के लिए वार्षिक सूचकांकन कारक को नहीं लेता है। इसलिए, वीपीटी से अनुरोध किया गया था कि विस्तारित अवधि अर्थात् 21.1-2021 से 20-1-2022 तक के लिए उचित सूचकांकित तर्कसंगत भंडारण शुल्क का पुनर्विचार और प्रस्ताव किया जाए।
- (ii) इसके अलावा, 27 जुलाई 2021 के वीपीटी प्रस्ताव और 29 दिसंबर 2020 के वीपीटी के न्यासी बोर्ड के अनुमोदन से यह पता नहीं चलता है कि न्यासी बोर्ड ने 21.1.2021 से 20.1.2022 तक प्रस्तावित तर्कसंगत भंडारण शुल्क को मंजूरी दी है। वीपीटी से अनुरोध किया गया था कि वह उक्त अवधि के लिए वीजीसीबीपीएल के लिए व्यक्तिगत भंडारण शुल्क को अनुमोदित करने वाले वीपीटी के न्यासी बोर्ड के अनुमोदन की एक प्रति प्रस्तुत करें।

6.2. इसके जवाब में, वीपीटी ने अपने ई-मेल दिनांक 03 अगस्त 2021 द्वारा निम्नलिखित प्रस्तुतियां देते हुए अपना पत्र दिनांक 02 अगस्त 2021 अंग्रेषित किया है:

- (i) बीओटी ऑपरेटर्स के संबंध में अप्रदत्त प्रशुल्क के तहत इस प्राधिकरण द्वारा घोषित सूचकांकन कारक के अनुसार, टर्मिनल ऑपररेटर मेसर्स वीजीसीबीपीएल को वर्ष 2021-22 (0.33 प्रतिशत की दर से) के लिए लागू सूचकांकन कारक के बाद सूचकांकित तर्कसंगत भंडारण शुल्क नीचे सारणीबद्ध किया गया है:

(रु. में प्रति टन प्रतिदिन अथवा उसका भाग)

क्र.सं.	विवरण	आदेश सं. टीएएमपी/58/2008-बीपीटी दिनांक 11 जनवरी 2013 के अनुसार सूचकांकन कारक लागू करने के बाद			21.1.2019 से 20.1.2020 तक की अवधि के लिए आदेश सं. टीएएमपी/9/2019-बीपीटी दिनांक 24 जुलाई 2019 द्वारा अनुमोदित संशोधित सूचकांकित भंडारण प्रभार		21.1.2020 से 20.1.2021 अवधि के लिए आदेश सं. टीएएमपी/14/2020- बीपीटी दिनांक 2 जून 2020 द्वारा अनुमोदित संशोधित सूचकांकित भंडारण प्रभार		21.1.2021 से 20.1.2022 अवधि के लिए संशोधित सूचकांकित भंडारण प्रभार	
		वर्ष 2018-19 के लिए लागू भंडारण प्रभार	वर्ष 2019-20 के लिए लागू भंडारण प्रभार	वर्ष 2020-21 के लिए लागू भंडारण प्रभार	21.1.2019 से 31.3.2019 तक भंडारण प्रभार	01.4.2019 से 20.1.2020 तक भंडारण प्रभार	21.1.2020 से 31.3.2020 तक भंडारण प्रभार	01.4.2020 से 20.1.2021 तक भंडारण प्रभार	21.1.2021 से 31.3.2021 तक संशोधित सूचकांकित भंडारण प्रभार (1.13%)	01.4.2021 से 20.1.2022 तक संशोधित सूचकांकित भंडारण प्रभार (0.33%)
1	भंडारण प्रभार (0-10 दिन)	कोई प्रभार नहीं	कोई प्रभार नहीं	कोई प्रभार नहीं	कोई प्रभार नहीं	कोई प्रभार नहीं	कोई प्रभार नहीं	कोई प्रभार नहीं	कोई प्रभार नहीं	कोई प्रभार नहीं
2	भंडारण प्रभार (11-15 दिन)	2.06	2.11	2.13	कोई प्रभार नहीं	कोई प्रभार नहीं	कोई प्रभार नहीं	कोई प्रभार नहीं	कोई प्रभार नहीं	कोई प्रभार नहीं

3	भंडारण प्रभार (16-20 दिन)	4.11	4.21	4.26	कोई प्रभार नहीं	कोई प्रभार नहीं	कोई प्रभार नहीं	कोई प्रभार नहीं	कोई प्रभार नहीं	कोई प्रभार नहीं
4	भंडारण प्रभार 21वें दिन से आगे	8.22	8.43	8.53	8.22	8.43	8.43	8.53	8.53	8.56

(ii) बोर्ड संकल्प सं. 137/2020-21 में, वीपीटी के न्यासी बोर्ड ने विस्तृत समीक्षा तथा परिचर्चाओं के बाद निम्नलिखित संकल्प लिया था:

पैरा 3. 20.01.2021 के बाद भंडारण शुल्कों के युक्तिकरण के लाभों के विस्तार के लिए औचित्य को उचित रूप से न्यायोचित ठहराते हुए वीपीटी के माध्यम से टीएएमपी को एक विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए रियायतग्राही को सूचित करना और

4. 20.01.2021 से एक वर्ष की अवधि के प्रस्ताव पर विचार करने और उसके बाद समीक्षा करने के लिए।

(iii) इसलिए वीपीटी ने वीजीसीबी की सुविधा के क्षमता उपयोग में सुधार लाने के लिए भंडारण शुल्कों को युक्तिसंगत बनाने के लिए मै. वीजीसीबीपीएल द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार करने और वीजीसीबी सुविधा के लिए संशोधित भंडारण अनुसूची को जल्द से जल्द एक वर्ष यानि एक और वर्ष की अवधि के लिए 21.1.2021 (लगातार तीसरे वर्ष) से 20.1.2022 तक प्रभावी होने के लिए अधिसूचित करने का अनुरोध किया है।

7. निर्धारित परामर्शी प्रक्रिया के अनुसार, वीपीटी का प्रस्ताव दिनांक 27 जुलाई 2021 वीजीसीबीपीएल और संबंधित प्रयोक्ताओं/प्रयोक्ता संगठनों को भेजा गया था, जिसमें हमारे पत्र दिनांक 30 जुलाई 2021 के माध्यम से उनकी टिप्पणियां मांगी गई थीं। वीजीसीबीपीएल और प्रयोक्ता/उपयोगकर्ता संगठनों से प्राप्त टिप्पणियों की एक प्रति प्रतिपुष्टि जानकारी के रूप में वीपीटी को भेज दी गई थी। वीपीटी ने ईमेल दिनांक 12 अगस्त 2021 में वीजीसीबीपीएल की टिप्पणियों पर अपना उत्तर प्रस्तुत किया है।

8. संदर्भित मामले में संयुक्त सुनवाई 31 अगस्त 2021 को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई थी। वीजीसीबीपीएल ने विषय प्रस्ताव पर संक्षिप्त पावर प्वाइंट प्रस्तुतीकरण पेश किया था। संयुक्त सुनवाई में, वीपीटी, वीजीसीबीपीएल और संबद्ध उपयोक्ताओं/संगठन निकायों ने अपने निवेदन रखे थे।

9. इस मामले में परामर्श से संबंधित कार्यवाही इस प्राधिकरण के कार्यालय में अभिलेखों पर उपलब्ध है। प्राप्त टिप्पणियों और पक्षकारों द्वारा की गई दलीलों का एक अंश संबंधित पक्षों को अलग से भेजा जाएगा। ये विवरण हमारी वेबसाइट <http://tariffauthority.gov.in> पर भी उपलब्ध कराया जाएगा।

10. मामले की कार्यवाही के दौरान एकत्र की गई समग्र जानकारी के संदर्भ में, निम्नलिखित स्थिति उभर कर सामने आती है:

(i) विशाखापत्तनम पत्तन न्यास (वीपीटी) का प्रस्ताव एमओपीएसडब्ल्यू (पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय) (तत्कालीन पोत परिवहन मंत्रालय) के पत्र सं. पीडी-13/1/2018-पीपीपी प्रकोष्ठ दिनांक 11 जुलाई 2018 के अनुसरण में वीपीटी के सामान्य कार्गो बर्थ में कोकिंग कोयला तथा भाप कोयला के अभियंत्रित प्रहस्तन के लिए विजाग जनरल कार्गो बर्थ प्रा. लि. (वीजीसीबीपीएल) के नाम से दरमान अधिसूचित करते हुए आदेश सं. टीएएमपी/58/2008-वीपीटी दिनांक 11 जनवरी 2013 द्वारा अनुमोदित भंडारण अनुसूची संशोधित करते हुए आदेश सं. टीएएमपी/14/2020-वीपीटी दिनांक 01 जून 2020 द्वारा इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित युक्तिसंगत भंडारण प्रभार के और विस्तार के लिए इस प्राधिकरण का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए है।

(ii) वीपीटी के वर्तमान प्रस्ताव को कार्यवाही के लिए लिया जाता है क्योंकि यह स्ट्रेस्ड पीपीपी परियोजना के संबंध में महापत्तन न्यासों को एमओपीएसडब्ल्यू पत्र दिनांक 11 जुलाई 2018 के अनुपालन में दायर किया गया है।

एमओपीएसडब्ल्यू ने 11 जुलाई 2018 के अपने पत्र में महापत्तन न्यासों द्वारा स्ट्रेस्ड परियोजनाओं के रूप में पीपीपी परियोजना के वर्गीकरण के लिए निम्नलिखित तीन मानदंड निर्धारित किए हैं:

(क) इस परियोजना का उप-इष्टतम उपयोग किया जाता है जैसा कि दो पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के दौरान ऑपरेटर द्वारा प्रहस्तित वास्तविक कार्गो द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जो डीपीआर/व्यवहार्यता रिपोर्ट के अनुसार पूर्वानुमान के 70 प्रतिशत से कम है और बोली दस्तावेज का हिस्सा है और

(ख) परियोजना एसपीवी दो पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के लिए लगातार नकद नुकसान वहन कर रही है और

(ग) कि रियायतग्राही द्वारा किए गए नुकसान के कारण परिचालन अवधि के दौरान इसकी उच्चतम नेटवर्थ का कम से कम 50 प्रतिशत क्षरण हुआ है।

उक्त एमओपीएसडब्ल्यू पत्र दिनांक 11 जुलाई 2018 के पैरा 7 में महापत्तनों को निर्धारित प्रक्रिया अपनाने और सृजित सुविधा के अधिकतम उपयोग के लिए समय-समय पर स्थिति की समीक्षा करने का निर्देश दिया गया है।

(iii) जैसा कि पहले बताया गया था, वीपीटी के न्यासी बोर्ड ने 29 दिसंबर, 2020 को आयोजित 2020-21 की बोर्ड बैठक सं. 4 के माध्यम से वीजीसीबीपीएल प्रस्ताव की समीक्षा की है और वीजीसीबीपीएल परियोजना को स्ट्रेस्ड परियोजना के रूप में वर्गीकृत किया है क्योंकि यह पीपीपी परियोजना के वर्गीकरण के लिए एमओपीएसडब्ल्यू पत्र दिनांक 11 जुलाई 2018 में निर्धारित तीन मानदंडों को पूरा करता है। वीजीसीबीपीएल परियोजना के वर्गीकरण के लिए वीपीटी बोर्ड द्वारा विचार किए गए ब्यौरे को पूर्व अनुच्छेदों में लाया गया है और इसलिए संक्षिप्तता के लिए दोहराया नहीं गया है। 70 प्रतिशत से कम क्षमता के कम उपयोग को वीपीटी पत्र द्वारा समर्थित किया जाता है और पिछले दो वर्षों 2018-19 और 2019-20 के लिए नकद हानि और कम से कम 50 प्रतिशत के शुद्ध मूल्य के क्षरण को वीजीसीबीपीएल द्वारा प्रस्तुत चार्टर्ड अकाउंटेंट का अभ्यास करने से प्रमाण पत्र द्वारा समर्थित किया जाता है और वीपीटी के न्यासी बोर्ड द्वारा विचार किया जाता है। उसी पर भरोसा किया जाता है।

वीपीटी के न्यासी बोर्ड ने कम भंडारण शुल्क को एक वर्ष की अवधि के लिए 20 जनवरी 2021 से आगे बढ़ाने के लिए वीजीसीबीपीएल के प्रस्ताव पर विचार करने को मंजूरी दे दी है।

(iv) उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए और यह स्वीकार करते हुए कि वीपीटी द्वारा दायर प्रस्ताव वीपीटी के न्यासी बोर्ड के अनुमोदन पर आधारित है और एमओपीएसडब्ल्यू पत्र दिनांक 11 जुलाई 2018 में निर्धारित तीन मानदंडों को पूरा करता है। स्ट्रेस्ड परियोजना और प्रस्ताव इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित तर्कसंगत भंडारण शुल्कों के विस्तार के लिए है, जो आदेश सं. टीएएमपी/14/2020-वीपीटी दिनांक 01 जून 2020 के बाद लागू वार्षिक सूचकांकन के बाद है और इसे दोनों पक्षकारों अर्थात् वीपीटी और वीजीसीबीपीएल द्वारा परस्पर स्वीकार किया गया है। यह भी स्वीकार करते हुए कि भंडारण शुल्क को तर्कसंगत बनाकर परियोजना सुविधाओं का बेहतर उपयोग करने का इरादा है, यह प्राधिकरण इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित युक्तिसंगत भंडारण प्रभार के

विस्तार के लिए पत्तन के वर्तमान प्रस्ताव को एक वर्ष की अवधि के लिए यानि 21 जनवरी 2021 से 20 जनवरी 2022 तक अनुमोदित करने के लिए प्रवृत्त है।

- (v) आदेश दिनांक 01 जून 2020 ने संशोधित भंडारण प्रभार की अनुसूची के अधीन चार शर्तें निर्धारित की थी। यही शर्तें टिप्पणी सं. (iv) में किए गए संशोधन के सिवाय इस आदेश में निर्धारित की जानी जारी रहेगी।

इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित संशोधित भंडारण अनुसूची की वैधता संबंधी टिप्पणी (iv) 21 जनवरी 2021 से 20 जनवरी 2022 तक की अवधि के लिए निर्धारित की गई है।

11. परिणामस्वरूप, और ऊपर दिए गए कारणों से, और समग्र विचार-विमर्श के आधार पर, यह प्राधिकरण 20 जनवरी 2021 से 20 जनवरी 2022 तक एक और वर्ष की अवधि के लिए वीजीसीबीपीएल द्वारा परिचालित टर्मिनल के लिए आदेश सं. टीएएमपी/14/2020-वीपीटी दिनांक 01 जून 2020 द्वारा इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित युक्तिसंगत भंडारण प्रभार के विस्तार के लिए वीपीटी के प्रस्ताव को अनुमोदित करता है। तदनुसार, संशोधित दरें जिन्हें 01 नवम्बर 2021 को राजपत्र सं. 538 द्वारा भारत के राजपत्र में अलग से अधिसूचित किया गया है, वीजीसीबीपीएल के नाम से एसओआर अधिसूचित करते हुए आदेश सं. टीएएमपी/58/2008-वीपीटी दिनांक 11 जनवरी 2013 द्वारा अनुमोदित आदेश में अनुसूची 4 के अधीन लागू किया जाएगा।

टी.एस. बालासुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन-III/4/असा./437/2021-22]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, the 8th November, 2021

No. TAMP/39/2021-VPT.—This Authority, in exercise of the powers conferred on it under Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), had disposed of the proposal received from the Visakhapatnam Port Trust (VPT) for rationalization of storage charge approved by the Authority vide Order No.TAMP/58/2008-VPT dated 11 January 2013 notifying the Scale of Rates in the name of the Vizag General Cargo Berth Pvt. Ltd. (VGCBL) for mechanized handling of coking coal and steam coal at General Cargo Berth of VPT on DBFOT basis in pursuance of MOS letter No.PD-13/1/2018-PPP Cell dated 11 July 2018 and rationalised storage charge was notified by this Authority for the third consecutive year w.e.f. 21 January 2021 till 20 January 2022. Considering the time involved for notifying (Speaking) Order along with the rates approved by this Authority, this Authority decided to notify only the schedule of rates immediately. Accordingly, the schedule of rationalised storage charges approved by this Authority on 25 October 2021 was notified in the Gazette of India on 01 November 2021 vide Gazette No.538. It was stated in the said Notification that this Authority will notify the Speaking Order, in due course of time. Accordingly, this Authority hereby notifies the Speaking Order connected with disposal of the proposal of the VPT as in the Order appended hereto.

Tariff Authority for Major Ports

Case No.TAMP/39/2021-VPT

Visakhapatnam Port Trust

- - -

Applicant

QUORUM

- (i) Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)
(ii) Shri. Sunil Kumar Singh, Member (Economic)

ORDER

(Passed on this 25th day of October 2021)

This case relates to the proposal received from the Visakhapatnam Port Trust (VPT) for rationalization of storage charge approved by this Authority vide Order No.TAMP/58/2008-VPT dated 11 January 2013 notifying the Scale of Rates in the name of the Vizag General Cargo Berth Pvt. Ltd. (VGCBL) for mechanized handling of coking coal and steam coal at General Cargo Berth of VPT on DBFOT basis in pursuance of the then Ministry of Shipping (MOS) letter No.PD-13/1/2018-PPP Cell dated 11 July 2018 and notify revised rationalized storage charge for the third consecutive year w.e.f. 21 January 2021 till 20 January 2022.

2.1. It is relevant here to mention that this Authority vide its Order No.TAMP/9/2019-VPT dated 24 July 2019, in pursuance of Ministry of Ports, Shipping and Waterways [MOPSW] (*erstwhile Ministry of Shipping*) letter No.PD-13/1/2018-PPP Cell dated 11 July 2018 on Stressed PPP Projects, has based on the proposal of VPT and after following due consultation process with stakeholders and after holding joint hearing approved the rationalisation in the Storage schedule in the Order dated 11 January 2013 which was relating to notification of Scale of Rates (SOR) in

the name of VGCBPL for mechanized handling of coking coal and steam coal at General Cargo Berth of VPT on DBFOT basis. The said Order was notified vide Gazette No.296 dated 21 August 2019. The rationalized storage charge approved by this Authority in the said Order was for a period of one year from 21 January 2019 and was valid for one year i.e. up to 20 January 2020.

2.2. Further, based on the proposal of VPT, this Authority vide Order No.TAMP/9/2019-VPT dated 15 September 2021 amended the effective date of rationalized storage charge from 11 July 2018 in place of 21 January 2019.

2.3. Subsequently, based on the proposal received from the VPT in March 2020, this Authority vide its Order No.TAMP/14/2020-VPT dated 1 June 2020 has extended the validity of the rationalised storage charge approved by this Authority vide Order No.TAMP/9/2019-VPT dated 24 July 2019 for terminal operated by VGCBPL for a further period one year w.e.f. 20 January 2020 and accordingly rates applicable under the Schedule 4 in the Order approved by this Authority vide Order No.TAMP/58/2008-VPT dated 11 January 2013 were amended as given below for the validity period up to 20 January 2021:

(in ₹ per tonne per day or part thereof)

Sl. No.	Particulars	Storage Charges applicable after applying indexation factor as per Order No.TAMP/58/2008-VPT dated 11 January 2013			Amended indexed Storage Charge approved vide Order No.TAMP/9/2019-VPT dated 24 July 2019 for the period 21.1.2019 till 20.1.2020		Amended indexed Storage Charge for the period 21.1.2020 till 20.1.2021 in the current extension Order	
		Storage Charge applicable for the year 2018-19	Storage Charge applicable for the year 2019-20	Storage Charge applicable for the year 2020-21	Storage Charge from 21.1.2019 till 31.3.2019	Storage Charge from 1.4.2019 till 20.1.2020	Amended indexed Storage Charge from 21.1.2020 till 31.3.2020	Amended Indexed Storage Charge from 01.4.2020 till 20.1.2021
1.	Storage Charges (0-10 days)	No Charges	No Charges	No Charges	No Charges	No Charges	No Charges	No Charges
2.	Storage Charges (11-15 days)	2.06	2.11	2.13	No Charges	No Charges	No Charges	No Charges
3.	Storage Charges (16-20 days)	4.11	4.21	4.26	No Charges	No Charges	No Charges	No Charges
4.	Storage Charges 21 st Day onwards	8.22	8.43	8.53	8.22	8.43	8.43	8.53

Notes:

- 20 free days shall be allowed. Free period shall commence from the day following the day of complete discharge of vessel cargo. For the purpose of calculation of free period, Custom notified holidays and Terminal's non-working days shall be excluded.
- Storage charges shall be payable for all days including Terminal's non-working days and Customs notified holidays for stay of cargo beyond the prescribed free days.
- Storage charges on cargo shall not accrue for the period when the terminal operator is not in a position to deliver / ship the cargo when requested by the user due to reasons attributable to the Terminal operator.
- The above storage schedule shall be valid from 21 January 2020 till 20 January 2021.

3.1. The VPT vide its e-mail dated 12 July 2021 had forwarded its proposal bearing letter No.IRNP/Stds/VGCB/2021 dated 02 March 2021 seeking approval for rationalization of storage charge earlier approved by this Authority vide No.TAMP/58/2008-VPT dated 11 January 2013 for terminal operated by VGCBPL for a further period of one year i.e. from 21 January 2021 to 20 January 2022 in pursuance of MOS letter No.PD-13/1/2018-PPP Cell dated 11 July 2018.

3.2. The VPT proposal dated 02 March 2021 did not mention and show that the project meets the three criteria prescribed in para 3 of the then MOS letter dated 11 July 2018 for being categorised as Stressed PPP Project nor did the proposal of the VPT propose the rationalised storage charge for the extended period i.e. from 21.1.2021 till 20.1.2022. Hence, VPT was vide our letter dated 22 July 2021 requested to file a complete proposal with requisite details.

4. In response, the VPT vide its e-mail dated 27 July 2021 forwarding its letter No.IRNP/Stds/VGCB/2020 dated 26 July 2021 has submitted its complete proposal. The main points made by the VPT in its revised proposal are

given below:

- (i) MOPSW has issued guidelines for identifying PPP project in Major Ports as “stressed project” and the procedure to be adopted for giving relief thereon vide MOPSW’s letter dated 11 July 2018.
- (ii) Based on the MOPSW Guidelines, VPT Board identified M/s.VGCBPL, operating in VPT, as “stressed project”, and relief was provided based on the proposal of the port by revising storage schedule in two spells i.e., (i) from 21.01.2019 to 20.01.2020 vide TAMP Order No.TAMP/9/2019-VPT dated 24 July 2019 and (ii) from 21.01.2020 to 20.01.2021 vide TAMP Order No.TAMP/14/2020-VPT dated 01 June 2020.
- (iii) As per the submissions of M/s.VGCBPL vide its letter dated 22 October 2020 (copy furnished) and 05 November 2020 (copy furnished) to the VPT, the matter was discussed in the VPT Board Meeting No.4 of 2020-21 held on 29 December 2020 and resolved to consider the request of M/s.VGCBPL vide Resolution No.137/2020-21 (copy furnished) for implementation of the rationalized storage charges w.e.f. 21.02.2021 (typo error corrected by VPT as 21.01.2021) The Board of Trustees of VPT has resolved the following:
 - (a) To consider the proposal of M/s.VGCBPL for classification of the said project as “Stressed Project” and to treat the project as Stressed Project in compliance to the directions of Ministry’s Order dated 11.07.2018.
 - (b) To approach TAMP under the provisions available at Article 21.9 of the Concession Agreement covering “Amendments, Modifications or Alterations” with an appropriate proposal for rationalization of storage charges in consultation with the Concessionaire M/s.VGCBPL, so as to achieve the ARR as per the TAMP guidelines/ notifications.
 - (c) To inform the Concessionaire to submit a detailed proposal to TAMP through VPT duly justifying the reasonableness for extension of the benefits of rationalization of storage charges beyond 20.01.2021 and;
 - (d) To consider the proposal for a period of one year from 20.01.2021 and to review thereafter.
- (iv) The letter showing the percentage of utilization of VGCBPL during the previous two years i.e. 2019-20 and 2018-19 is furnished. The letter showing the cash losses incurred and net worth of M/s.VGCBPL during the previous two years i.e., 2019-20 and 2018-19 is furnished. The certified cash losses and net worth of the company by the Chartered Accountant of VGCBPL (copy furnished) are as under:

(₹ in crores)			
Sl. No.	Particulars	FY 2019-20	FY 2018-19
1	Net Cash Losses incurred by the company	(1.68)	(2.29)
2	Net worth of the company	20.05	(11.47)

- (v)
 - (a) The VGCBPL in its letter dated 22 October 2020 addressed to VPT (copy furnished by VPT) has stated that the losses incurred by the Concessionaire has caused 50% erosion of its peak net worth (₹151.53 crores in 2012-13) during the operation period to ₹20.05 crores in the year 2019-20.
 - (b) The cargo handled by VGCBPL in the last two preceding financial year and capacity utilization reported by VGCBPL based on VPT communication dated 5 November 2020 to VGCBPL is tabulated below:

Particulars	UOM	2018-19	2019-20
Volume as per Pre-bid model	MMT	10.18	10.18
Actual Volume handled	MMT	4.96	5.91
% of Actual volume (< 70%)	%	49%	58%

- (vi) As resolved in VPT Board Meeting, M/s.VGCBPL submitted its proposal vide its letter dated 03 February 2021 to VPT for rationalization of storage charges beyond 20 January 2021, duly justifying the reasonableness thereon for consideration. The main points made by VGCBPL in its

letter dated 3 February 2021 to VPT are summarized below:

- (a) VGCBPL requests the port to continue the free storage period to 20 days similar to last year rationalization and the storage tariff should start from 21st day as per the TAMP notified rates from time to time.
- (b) Accordingly, the proposed tariff would be as follows (like last year):

Sl. No.	Particulars	Units	Current SOR (without rationalization)	Proposed SOR
1.	Berth Hire Charges	₹/ GRTH	0.883	0.883 *
2.	Cargo Handling Charges	₹/ MT	178.08	178.08 *
3.	Storage Charges (0-10 days)	₹/ MT per day	No Charges	No Charges
4.	Storage Charges (11-15 days)	₹/ MT per day	2.13	No Charges
5.	Storage Charges (16-20 days)	₹/ MT per day	4.27	No Charges
6.	Storage Charges 21 st Day onwards	₹/ MT per day	8.53 *	
7.	Misc. charges (charges for sweeping, dust suppression and environment, etc.)	₹/ MT	1.82 *	
* Subject to change as per TAMP revision from time to time.				

- (c) Further, the current vs. proposed royalty on Storage charges would be as under:

Sl. No.	Particulars	Units	Current royalty (without rationalization)	Proposed royalty
1.	Storage Charges (0-10 days)	₹/ MT per day	No royalty	No royalty
2.	Storage Charges (11-15 days)	₹/ MT per day	38.1% of Gross revenue	1% of ARR
3.	Storage Charges (16-20 days)	₹/ MT per day	38.1% of Gross revenue	
4.	Storage Charges 21 st Day onwards	₹/ MT per day	38.1% of Gross revenue	Royalty equal to 38.1% on actual storage charges recovered or 1% of ARR whichever is higher.

- (d) The VPT is requested to support VGCBPL in obtaining such orders in consultation with the TAMP in such a way so as to achieve the ARR as specified in the 2008 tariff guidelines. Also, a suitable amendment in the Concession Agreement is to be made for giving effect of MOPSW guidelines for the change in revenue share pattern in Storage charges under the article 21.9 of the Concession Agreement (as proposed by VPT Board) for the last two years and the current year.

(e) Justification for extension of benefits of rationalisation:

- (i) The free storage period offered is 10 days as per the TAMP approved 2008 tariff guidelines. This was part of upfront tariff fixed by TAMP vide its Order dated 27 November 2009. The same was decided at the time of bidding based on the market dynamics prevailing at that time. Whereas, in actual practice, it is observed that the current market dynamics are completely different than those which were thought of in 2009.
- (ii) As against the above, the current dwell time of vessels is ranging from 40 to 50 days. Basing the past trend of dwell time only, it had been mutually agreed by both the Concessionaire and Concessioning authority to extend the free period up to 20 days. In similar lines, VGCBPL requests to consider the same and continue the same for the current year rationalization also.
- (iii) Further, though VGCBPL are in the 8th year of commercial operations, the project had not made any profits for the past 8 years and the entire loan is still outstanding. Even after getting the rationalization benefit, the project performance was not up to satisfactory level which has been detailed as follows:

- (a) Last year discharge volume is 5.91 MMT against VGCBPL EC approved limit of 10.18 MMT.
- (b) VGCBPL had made cash losses of ₹1.68 crores in the last year. A copy of financials for FY 19-20 have already been submitted to VPT.
- (c) VGCBPL entire net worth has gone into negative last year due to continuous losses since inception of the project.
- (f) In view of the above situation, VGCBPL requests to continue the rationalization benefit for the second year as well as in the interest of project which is a major contributor for VPT Ex-chequer.
- (g) VGCBPL has furnished a Certificate dated 21 October 2020 from its Chartered Accountant showing cash losses and net worth of VGCBPL. VGCBPL has also furnished VPT letter dated 05 November 2020 to VGCBPL for the years 2018-19 and 2019-20. As regards traffic handled by VGCBPL in the years 2018-19 and 2019-20, the VPT letter dated 5 November 2020 is furnished.
- (vii) The VPT has proposed the following rationalized storage charge for a period of one year beyond 20 January 2021 as proposed by VGCBPL to VPT for consideration of TAMP:

Sl. No.	Particulars	Units	Current Scale of Rates	Proposed Scale of Rates
1.	Storage charges 0-10 days	₹/ MT per day	No Charges	No Charges
2.	Storage charges 11-15 days	₹/ MT per day	2.13	No Charges
3.	Storage charges 16-20 days	₹/ MT per day	4.27	No Charges
4.	Storage charges 21 st day onwards	₹/ MT per day	8.53	8.53

- (viii) The proposal submitted by M/s.VGCBPL is in line with the recommendations of the Committee constituted by the MOPSW communicated vide letter dated 11 July 2018.
- (ix) The VPT has, therefore, requested to consider the proposal submitted by M/s.VGCBPL for rationalisation of storage charges to improve the capacity utilization of VGCBPL facility. The VPT has also requested to approve and notify the revised storage schedule for the VGCBPL facility at the earliest to take effect from 21.01.2021 (3rd consecutive year) for a period of one more year i.e. up to 20.01.2022.
- (x) The above schedule will be made applicable from 21.01.2021 till 31.03.2021 upon approval from TAMP. The storage schedule from 01.04.2021 till 20.01.2022 shall be appropriately indexed upon notification of indexation factor by TAMP. Accordingly, the VPT has requested to include the above in the approval and notification.

5.1. The MOS vide its e-mail dated 11 July 2018 has issued the letter No.PD-13/1/2018-PPP Cell dated 11 July 2018 regarding Stressed PPP project along with copy of report of the Committee chaired by Chairman, IPA on the issues pertaining to Stressed PPP projects.

5.2. The said letter states that the MOS has formed a Committee under the Chairmanship of Chairman IPA to take timely decision on port issues i.e. stressed PPP project and issues such as MGT, Permissions, Port charges, Storage charges etc. of PPP users. The said committee after detailed examination of various issues including the issue of storage charges faced in the PPP projects of various major ports has submitted its report to the MOS. The said Committee has recommended the following criteria for classification of PPP project as “**Stressed Projects**”:

- (a) The project is sub optimally utilised as evidenced by the actual cargo handled by the operator during two preceding financial years being less than 70% of the projection as per DPR/Feasibility report forming part of the bid document and
- (b) Project SPV incurring cash loss continuously for two preceding financial years and
- (c) That the losses incurred by concessionaire has caused atleast 50% erosion of its peak Net Worth during the operation period.

5.3. Para 6 of the MOS letter dated 11 July 2018 states that whenever issue of abnormal storage charges emerges in stressed projects as defined in the MOS letter, the Ports may approach TAMP under the provisions of “Agreements,

modification or alternations” to the terms and conditions of the concession agreement with an appropriate proposal for rationalization of storage charges in consultation with concessionaire so as to achieve the ARR as per the TAMP guidelines/ notification. TAMP has to consider such proposal on merit. The Committee also recommended review of the situation by the Concessions Authority periodically for optimum utilization of the facility created.

5.4. Referring to the said letter of MOS, the VPT has filed the current proposal for rationalization of storage charge approved by this Authority vide Order No.TAMP/58/2008-VPT dated 11 January 2013 notifying the Scale of Rates in the name of the VGCBPL for mechanized handling of coking coal and steam coal at General Cargo Berth of VPT on DBFOT basis and to notify revised storage charge for the third consecutive year w.e.f. 21 January 2021 till 20 January 2022.

6.1. While acknowledging the proposal dated 27 July 2021, the VPT vide our letter dated 30 July 2021 was requested for the following:

- (i) The rationalized storage charge proposed by the VPT as per the proposal of VGCBPL does not capture the annual indexation factor for the year 2021-22 applicable w.e.f. 01 April 2021. Therefore, the VPT was requested to relook and propose appropriate indexed rationalised storage charge for the extended period i.e. from 21.1.2021 till 20.1.2022.
- (ii) Further, the VPT proposal dated 27 July 2021 and the approval of Board of Trustees of VPT dated 29 December 2020 does not show that the Board of Trustees has approved the proposed rationalized storage charge w.e.f. 21.1.2021 to 20.1.2022. The VPT was requested to forward a copy of approval of Board of Trustees of the VPT approving the rationalized storage charge for VGCBPL for the said period.

6.2. In response, the VPT vide its e-mail dated 03 August 2021 has forwarded its letter dated 02 August 2021 making the following submissions:

- (i) As per the indexation factor announced by this Authority under the upfront tariff in respect of BOT operators, the indexed rationalized storage charge after indexation factor applicable for the year 2021-22 (@ 0.33%) to the terminal operator M/s.VGCBPL is tabulated below:

(in ₹ per tonne per day or part thereof)

S. No.	Particulars	Storage charges applicable after applying indexation factor as per Order No.TAMP/58/2008-VPT dated 11 January 2013			Amended indexed storage Charge approved vide Order No.TAMP/9/2019-VPT dated 24 July 2019 for the period 21.1.2019 till 20.1.2020		Amended indexed storage Charge approved vide Order No.TAMP/14/2020-VPT dated 2 June 2020 for the period 21.1.2020 till 20.1.2021		Amended indexed storage Charge for the period 21.1.2021 till 20.1.2022	
		Storage charge applicable for the year 2018-19	Storage charge applicable for the year 2019-20	Storage charge applicable for the year 2020-21	Storage Charge from 21.1.2019 till 31.3.2019	Storage Charge from 1.4.2019 till 20.1.2020	Storage Charge from 21.1.2020 till 31.3.2020	Storage Charge from 1.4.2020 till 20.1.2021	Amended indexed Storage charge from 21.1.2021 to 31.3.2021 (1.13%)	Amended indexed Storage charge from 01.4.2021 to 20.1.2022 (0.33%)
1	Storage charges 0-10 days	No Charges	No Charges	No Charges	No Charges	No Charges	No Charges	No Charges	No Charges	No Charges
2	Storage charges 11-15 days	2.06	2.11	2.13	No Charges	No Charges	No Charges	No Charges	No Charges	No Charges
3	Storage charges 16-20 days	4.11	4.21	4.26	No Charges	No Charges	No Charges	No Charges	No Charges	No Charges
4	Storage charges 21 st day onwards	8.22	8.43	8.53	8.22	8.43	8.43	8.53	8.53	8.56

- (ii) In the Board Resolution No.137/2020-21, the Board of Trustees of VPT have resolved the following after detailed review and deliberations:

Para 3. To inform the Concessionaire to submit a detailed proposal to TAMP through VPT duly justifying the reasonableness for extension of the benefits of rationalisation of storage charges beyond 20.01.2021 and

4. To consider the proposal for a period of one year from 20.01.2021 and to review thereafter

- (iii) The VPT has, therefore, requested to consider the proposal submitted by M/s.VGCBPL for rationalisation of storage charges to improve the capacity utilisation of VGCB facility and to notify the revised storage schedule for the VGCB facility at the earliest to take effect from 21.1.2021 (3rd consecutive year) for a period of one more year i.e., up to 20.1.2022.

7. In accordance with the consultative procedure prescribed, the proposal of VPT dated 27 July 2021 was forwarded to the VGCBPL and the concerned users/ user organisations seeking their comments vide our letter dated 30 July 2021. A copy each of comments received from the VGCBPL and users/ user organisations were forwarded to VPT as feedback information. The VPT its e-mail dated 12 August 2021 has furnished its reply on comments of VGCBPL.

8. A joint hearing on the case in reference was held on 31 August 2021 through Video Conferencing. The VGCBPL made a brief power point presentation on the subject proposal. At the joint hearing, the VPT, VGCBPL and the concerned users/ organisation bodies have made their submissions.

9. The proceedings relating to consultation in this case are available on records at the office of this Authority. An excerpt of the comments received and arguments made by the parties will be sent separately to the relevant parties. These details will also be made available at our website <http://tariffauthority.gov.in>.

10. With reference to the totality of the information collected during the processing of the case, the following position emerges:

- (i) The proposal of the Visakhapatnam Port Trust (VPT) seeks approval of this Authority for further extension of rationalised storage charge approved by this Authority vide Order No.TAMP/14/2020-VPT dated 01 June 2020 amending the storage schedule approved vide Order No.TAMP/58/2008-VPT dated 11 January 2013 notifying Scale of Rates (SOR) in the name of Vizag General Cargo Berth Pvt. Ltd. (VGCBPL) for mechanized handling of coking coal and steam coal at General Cargo Berth of VPT in pursuance of MOPSW (Ministry of Ports, Shipping and Waterways) (the then Ministry of Shipping) letter No.PD-13/1/2018-PPP Cell dated 11 July 2018.
- (ii) The current proposal of VPT is taken up for processing because it is filed in pursuance of the MOPSW letter dated 11 July 2018 to the Major Port Trusts as regards the stressed PPP project.

The MOPSW, in its letter dated 11 July 2018, has prescribed the following three criteria for classification of PPP project as Stressed Projects by Major Port Trusts:

- (a) The project is sub optimally utilised as evidenced by the actual cargo handled by the operator during two preceding financial years being less than 70% of the projection as per DPR/Feasibility report forming part of the bid document and
- (b) Project SPV incurring cash loss continuously for two preceding financial years and
- (c) That the losses incurred by concessionaire has caused atleast 50% erosion of its peak Net Worth during the operation period.

Para 7 of the said MOPSW letter dated 11 July 2018 directs the Major ports to adopt the prescribed procedure and review the situation periodically for optimum utilisation of the facility created.

- (iii) As brought out in earlier, the Board of Trustees of VPT, vide its Board Meeting No.4 of 2020-21 held on 29 December 2020, has reviewed the VGCBPL proposal and has classified the VGCBPL project as Stressed Project as it meets the three criteria prescribed in the MOPSW letter dated 11 July 2018 for categorisation of the PPP project as stressed. The details considered by the VPT Board for classification of VGCBPL project as stressed is brought out in the earlier paragraphs and hence not reiterated for the sake of brevity. The underutilisation of capacity below 70% is supported by the VPT letter and the cash loss for preceding two years 2018-19 and 2019-20 and erosion of net worth of at least 50% is supported by the Certificate from practicing Chartered Accountant furnished by VGCBPL and considered by the Board of Trustees of the VPT. The same is relied upon.

The Board of Trustees of VPT has approved to consider the proposal of VGCBPL for extension of reduced storage charge beyond 20 January 2021 for a period of one year.

- (iv) In view of the above position and recognizing that the proposal filed by the VPT is based on the approval of the Board of Trustees of the VPT and fulfills the three criteria prescribed in the MOPSW letter dated 11 July 2018 on the Stressed Project and the proposal is for extension of rationalised storage charges approved by this Authority vide Order No.TAMP/14/2020-VPT dated 01 June 2020 after applicable annual indexation and is mutually accepted by both the parties i.e. VPT and VGCBPL and also recognizing that it intended to utilize the project facilities optimally by rationalising storage charges, this Authority is inclined to approve the current proposal of the port for extension of the rationalised storage charge approved by this Authority in the Order dated 01 June 2020 for a further period of one year i.e. from 21 January 2021 to 20 January 2022.

- (v) The Order dated 01 June 2020 prescribed four conditionalities under the schedule of amended storage charge. The same conditionality shall continue to be prescribed in this Order except for modification done in note no.(iv)

Note (iv) as regards validity of amended storage schedule approved by this Authority is prescribed for the period of one year from 21 January 2021 till 20 January 2022.

11. In the result, and for the reasons given above, and based on a collective application of mind, this Authority approves the proposal of VPT for extension of the rationalised storage charge approved by this Authority vide Order No.TAMP/14/2020-VPT dated 01 June 2020 for terminal operated by VGCBPL for a further period of one year w.e.f. 20 January 2021 till 20 January 2022. Accordingly, the amended rates which have been notified separately in the Gazette of India on 01 November 2021 vide Gazette No.538 will be applicable under the Schedule 4 in Order approved by this Authority vide Order No.TAMP/58/2008-VPT dated 11 January 2013 notifying the SOR in the name of the VGCBPL.

T. S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT.-III/4/Exty./437/2021-22]